ई–मेल

संख्याः 133-34 / निदे0म0क0 / सुमंगला / एस0एन0डी0 / 2022–23

प्रेषक,

निदेशक,
महिला कल्याण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमती अमिता श्रीवास्तव,
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
एन0आई0सी0, लखनऊ।

लखनऊः दिनांकः 17 अक्टूबर, 2022

विषय– मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के सरलीकरण के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–426 / 60–3–2022–6(सा0) / 19 दिनांक 30.08.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के कियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में योजना के मूल शासनादेश दिनांक 07.03.2019 के मार्गदर्शिका में वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए कतिपय बिन्दुओं पर संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन के अनुरूप वेबसाइट में आवश्यक परिवर्तन किया जाना है। संशोधित शासनादेश के बिन्दु–2 में आवेदक को किसी श्रेणी में आवेदन करने के पश्चात आगामी सभी श्रेणियों में सहजता से लाभ प्रदान करने हेतु पहली बार स्वीकृत होने के बाद आगामी श्रेणियों हेतु लाभार्थी बालिका का फार्म स्वतः संचालित सिस्टम के माध्यम से अग्रसारित किया जायेगा। इस बिन्दु पर एन0आई0सी0 द्वारा दूरभाष पर वार्ता की गई। एन0आई0सी0 द्वारा इस बिन्दु के अनुरूप वेबसाइट पर संशोधन हेतु प्रत्येक श्रेणी के लिए आवेदन करने के लिए बालिका की अधिकतम तथा न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने की अपेक्षा विभाग से की गई है।

तद्क्रम में योजना में विभिन्न श्रेणियों में आवेदन करने के लिए आयु सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

क्रम सं0	श्रेणी	समय–सीमा
1	श्रेणी–1	01 वर्ष तक
2	श्रेणी–2	02 वर्ष तक
3	श्रेणी–3	04–08 वर्ष तक
4	श्रेणी–4	09–14 वर्ष तक
5	श्रेणी–5	13–17 वर्ष तक
6	श्रेणी–6	16–20 वर्ष तक

भवदीय,

(मनोज कुमार राय)
निदेशक।

पृष्ठांकन व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि– सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार राय)
निदेशक।

Please See and discuss.
(Ms. Rashi, Sc 'B')